न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

मिसल न०– 40 /2021

अनवान :–

1. सतपाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। सायल

बनाम्

1. सागरसिह पुत्र राजेन्द्रसिह जाति जाट निवासी चक 9 केएनएनन तहसील नोहर ।
2. इन्द्रो पत्नी राजेन्द्रसिह जाति जाट साकिन चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ। –अराल गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 17-12-2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रशासन गावं के संग अभियान कैम्प थालडका में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 9/8 की कुल 1.2650हैव भूमि सायल के नाम बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 87/85 की कुल 1.2650हैव भूमि गैरसायल संख्या 1 ,2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये प0न0 322/391 में मन्जुर शुद्दा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 ,2 के खते में प्रवेश करके अपने खेत में प्रवेश करते है।

सायल के खेत में जाने के लिये गैरसायल संख्या 1 ,2 के प0न0 322/391(72) के किला न0 11 में उत्तर दिशा में 1 बिस्वा पश्चिम से पूर्व चलकर अपने खेत में प्रवेश करता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यही सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्त नही है। सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हे तथा रास्ते की भूमि के बदले में सायल बाजार भाव से राशि देने को भी तैयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प0न0 322/391(72) के किला न0 11 में उत्तर दिशा में 1 बिस्वा पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त गैरसायलान संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जवाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल संख्या 1 ता 2 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल एवं गैरसायल की आपसी सीहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर गैरसायल संख्या 1 की भूमि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 87/85 के प0न0 322/391(72) के किला न0 11 में उतर दिशा मे 1 बिस्वा रास्ता पश्चिम से पूर्व स्वीकृत किया जाता है रास्ते मे जितनी भूमि आती है उसकी डीएलसी दर से राशि सायल गैरसयाल को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... खूईया.

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
क्रमांक : राजस्व / 2020 / 1194 दिनांक 17/12/21

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 40 सन 2021 निर्णय दिनांक 17.12.2021

अनवान :–

अनवान :–

1. सतपाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम

1. सागरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी चक 9 केएनएनन तहसील नोहर ।
2. इन्द्रो पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति जाट साकिन चक 9 केएनएन तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 87 / 85 के म0न0 322 / 391(72) के किला न0 11 में उत्तर दिशा मे 1 बिस्वा रास्ता पश्चिम से पूर्व स्वीकृत किया जाता है रास्ते मे जितनी भूमि आती है उसकी डीएलसी दर से राशि सायल गैरसयाल को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... खूईया

Scanned with CamScanner